

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल परखाड़ा-2025 ४५९१शिविर- शोषडा

प्रकरण संख्या- 112/2025

दिनांक- 11/7/2025

उनवान

श्री. वालकिशन पुत्र
परसा जाति रेबारी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का शोषडा भू. अ. नि. अठावरवादे एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम सिरौटी पर हठ शोषडा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 58 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>जाति</u>	<u>कजौड, तुपसा, वालकिशन, मेवा, पुत्री परसा जाति रेबारी</u>	<u>कजौड, तुपसा, वालकिशन, मेवा, पुत्री परसा जाति रेबारी</u>

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री वालकिशन पुत्र परसा रेबारी शोषडा
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं. मा.उ.)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं. मा.उ.)

